न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 159/2018 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :– 2018/00282

उनवान

1. अंगूरी पत्नि वोदे
2. सोहन सिंह पुत्र वोदे
3. रज्जो पुत्र वोदे
4. श्रीमति फूलन पत्नि रामबाबू
5. जहान सिंह पुत्र रामबाबू
6. सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामबाबू
7. श्रीमति शीला पुत्री रामबाबू

} समस्त जाति जाटव निवासीयान ग्राम नगला तेरहिया तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील भरतपुर।
2. रमेश पुत्र हुकमा
3. देवो पुत्र हुकमा
4. भूपेन्द्र पुत्र लीला
5. कुंवरपाल पुत्र लीला
6. रामेश्वर पुत्र लीला

} समस्त जाति जाटव निवासीयान ग्राम नगला तेरहिया तहसील व जिला भरतपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी,भरतपुर दिनांक 07.08.2018 प्र.सं. 70/12 उनवान अंगूरी वनाम सरकार।

अभिभाषगगण :–

1. वकील अपीलांट श्री कृष्ण कुमार सिंघल उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सुघड सिंह उपस्थित।
3. पैरोकार सरकार श्री रविन्द्र फौजदार उपस्थित।

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

निर्णय दिनांक–10.03.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.08.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलाण्ट की ओर से एक दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आरटीएक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 273 मिन, 274 मिन वाके ग्राम मडोली का खातेदार कृषक वोदे था एवं वादीगण/अपीलाण्ट वोदे के उत्तराधिकारी हैं। वोदे की मृत्यु उपरान्त वादीगण/अपीलाण्ट विवादित आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त हैं। भू प्रबन्ध विभाग ने मौका कब्जा के विपरीत वादीगण/अपीलाण्ट को हाल खसरा नम्बर 390, 391 का खातेदार दर्ज किया जबकि वादीगण/अपीलाण्ट गत नक्शा व मौका अनुसार हाल खसरा नम्बर 397 पर काबिज काश्त हैं। उक्त गलत इन्द्राज काश्त के फलस्वरूप प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 द्वारा वादीगण/अपीलाण्ट को काश्त ना करने की धमकी दी। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश कानून के खिलाफ एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। गत आराजी खसरा नम्बर 273 मिन, 274 मिन वाके ग्राम मडोली तहसील व जिला भरतपुर के खातेदार अपीलाण्टान के पिता व पति थे और उनकी मृत्यु के बाद, विवादित भूमि उनको विरासतन प्राप्त हुई है। परन्तु भू प्रवन्ध विभाग द्वारा अपीलाण्ट के साविक खसरा नम्बर 390, 391 का खातेदार दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलाण्ट गत राजस्व रिकार्ड नक्शा व मौका अनुसार हाल खसरा नम्बर 397 पर काविज है। इसके विपरीत बन्दोबस्त विभाग द्वारा उक्त हाल खसरा नम्बर 397 पर रैस्पो0 02 लगायत 06 की खातेदारी में दर्ज कर दिया। यह है कि रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 06 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर में साविक खसरा नम्बर 273 से बने खसरा नम्बर वावत् प्रस्तुत वाद में तहसीलदार भरतपुर की रिपोर्ट में खसरा नम्बर 397 पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त माना गया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में अहम कानूनी गलती की है। रैस्पो0 का एडमीशन स्वेच्छा से विना किसी दवाव के स्वयं द्वारा प्रस्तुत दावे में जहॉ स्वीकार किया हो और

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

उस तथ्य की पुष्टि तहसीलदार की रिपोर्ट से होती हो इससे साफ स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा मौके के विपरीत कब्जे के आधार पर इन्द्राज ना कर अहम कानूनी गलती की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी बाबत् मौके की रिपोर्ट तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को भ्रामक व एकपक्षीय माना गया है। उक्त रिपोर्ट को भ्रामक इसलिये नहीं कह सकते क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं रिपोर्ट चाही है एवं रिपोर्ट देने वाला भी राजस्व अधिकारी है कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं। इसके अलावा उक्त रिपोर्ट को एक पक्षीय भी नहीं कह सकते क्योंकि प्रतिवादी/रैस्पो0 स्वयं अपना कब्जा नहीं मानते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों पर ध्यान ना देकर, अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी जबावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट अपने वाद को पुष्ट करने में असफल रहे हैं। विवादित आराजी खसरा नम्बर 397 राजस्व रिकार्ड में मकबूजा तज सिवायचक दर्ज है एवं अपीलाण्ट को राजकीय सिवायचक भूमि पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में बिना किसी आधार के दावा दायर किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों की पूर्ण विवेचना की जाकर विधि अनुरूप सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने के लिए तीन तनकियॉ बनाई गई हैं, जिनमें प्रथम दो तनकी वादीगण/अपीलाण्ट के जिम्मे एवं शेष एक तनकी प्रतिवादी/रैस्पों0 के जिम्मे हैं। वादीगण अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को सिद्ध करने में सफल नही हुआ है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार हैं :–

6. **तनकी संख्या 01** :– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी अपीलाण्ट/वादीगण के विरूद्ध तय की है। हम पाते हैं वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा अपने दावे की पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा गत खसरा नम्बरो का नक्शा, हाल खसरा नम्बरो का नक्शा, मिलान क्षेत्रफल अथवा खसरा पत्रक आदि पेश नहीं किये गये हैं। अपीलाण्ट खसरा नम्बर 390 व 391 पर अपना कब्जा ना बताते हुये, खसरा नम्बर 397 पर कब्जा काश्त बताते हैं। परन्तु खसरा नम्बर 397 राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायचक दर्ज है, जिस पर किसी व्यक्ति को कोई खातेदारी अधिकार हासिल नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी अधिकार सृजित होने का भी कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की तनकी विवेचना में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। तनकी विरूद्ध वादीगण/अपीलाण्ट निर्णित की जाती है।

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

7. **तनकी संख्या 02** :– चूंकि तनकी संख्या 01 में अपीलाण्ट/वादीगण का विवादित आराजी पर कोई स्वत्व अधिकार नहीं पाये गये हैं एवं तनकी विरूद्ध अपीलाण्ट/वादीगण तय हुई हैं। अतः यह तनकी भी विरूद्ध अपीलाण्ट/वादीगण तय की जाती है।

8. **तनकी संख्या 03** :– अधीनस्थ न्यायालय की इस तनकी विवेचना में भी, हमें कोई त्रुटि नजर नहीं आती है। विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायचक दर्ज है एवं सिवायचक भूमि पर किसी को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तनकी विरूद्ध अपीलाण्ट/वादीगण तय की जाती है।

9. **दादरसी** :– समस्त तनकियों का निस्तारण किया जा चुका है। सभी तनकी विरूद्ध अपीलाण्ट/वादीगण पाई गयी हैं। अपीलाण्ट/वादीगण अपने जिम्में की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नही पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से उपलब्ध साक्ष्य की पूर्ण विवेचना करते हुए, अपीलाण्ट/वादीगण का दावा खारिज किया है, जो तर्कसंगत है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

10. हम यह भी पाते हैं कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में राजकीय सिवायचक अंकित है जिस पर अपीलाण्ट/वादीगण का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण है। अतः तहसीलदार भरतपुर को अतिक्रमी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिए, पश्चात्वर्ती अतिक्रमण एवं विवादित भूमि की किस्म राजकीय सिवायचक होने के कारण भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही हेतु भी परीक्षण वांछनीय हैं।

11. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.08.2018 यथावत रखें जातें हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

12. निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.3.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर